न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :— रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 136 / 2019
जीसीएमएस न. 2019 / 00194

वादीगण—

1. माणकचन्द पुत्र पूनाराम (फोत)
1) मंगतूराम पुत्र माणकचन्द
2) छेलाराम पुत्र माणकचन्द
3) कानाराम पुत्र माणकचन्द
4) पुरखाराज पुत्र माणकचन्द
5) सीपुडी पुत्री माणकचन्द
6) लीला पुत्री माणकचन्द
जाति—मेघवाल, निवासी—कुचेरा हाल निवासी फिरोजपुरा, तहसील—जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण —

1. कैलाश पुत्र बद्रीराम
2. तिलोक राम पुत्र बद्रीराम(नाम हटाया गया)
3. हरदीन राम पुत्र बद्रीराम
4. हजारीराम पुत्र बोफाराम उर्फ बोदाराम
5. सरजुदेवी पत्नि मनीराम उर्फ बोदाराम
6. इन्द्रादेवी पुत्री मनीराम उर्फ बोदाराम
   जाति—मेघवाल, निवासी— कुचेरा, तहसील—मूण्डवा (नागौर)
7. तहसीलदार, जायल

उपस्थिति :—

1. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री इस्लामुदीन काजी अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 व 6 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

— निर्णय —

दिनांक : 25/05/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी के पिता कुल पांच भाई थे। जो श्री रावतराम के पुत्र है। जो सभी कुचेरा के मुल निवासी है। जिनकी भूमियां कुचेरा, खेडानारनोलिया, व नराधना की सरहद मे आई हुई है। जिनमे से किसनाराम, मोहनराम ने अपनी भूमिया ग्राम कुचेरा में रख ली तथा वादी के पिता पूनाराम तथा उनके भाई बद्रीराम व बोदाराम पुत्र बोफाराम के बंट में ग्राम नराधना व खेडा नारनोलिया की भूमियां रखी। अब बद्रीराम व बोदा उर्फ बोफाराम का देहान्त हो गया है। जिनके पिछे बद्रीराम के तीन पुत्र प्रतिवादी सं. 1 से 3 व तथा बोदा उर्फ बोफाराम के पिछे प्रतिवादी सं. 4 हजारीराम है, तथा एक अन्य पुत्र मनीराम जिसकी देहान्त हो गया जिसके पिछे उसकी पत्नि प्रतिवादी सं0 6 सरजू व उसकी पुत्री प्रतिवादी सं. 6 इन्द्रादेवी है। इन तीनो भाईयों ने जब अपनी भूमियो अलग अलग की तो ग्राम नराधरना की भूमियां तो सही दर्ज हो गई परन्तु खेडा नारनोलिया का खेत ख.न. 232 रकबा 15.18

25/05/2022

बीघा जो वादी के पिता पूनाराम के बंट का था पर गलती से बद्रीराम तथा बोदाराम उर्फ बोफाराम के नाम दर्ज हो गया। वादी के पिता का स्वर्गवास हो गया है तथा उनका एक मात्र वारिस वादी ही है। इतने दिन वादी व उसके पिता रेकर्ड की ओर ध्यान नहीं दिया तथा शांतिपूर्वक काश्त कर रहे थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले वादी का पुत्र किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए जमाबन्दी लेने के लिए पटवारी के पास तो गया जानकारी हुई मुदवादिया खेताय की खातेदारी उनके नाम दर्ज नहीं है। इसलिये यह दावा बाबत घोषणा खातेदारी विभाजन तथा रेकर्ड दुरस्ती के लिए करना आवश्यक हो गया। ऐसे दावो में राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार जायल को पक्षकार बनाया गया है।

बिनाय दावा मौजा खेडा नारनोलिया बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि ख.न. 232 रकबा 15.18 बीघा वादी के पिता के बंट की होकर अब वादी के बंट की होने के बाद भी राजकीय रेकर्ड में बद्रीराम व बोदाराम उर्फ बोफाराम के नाम दर्ज हो जाने से वाद उत्पन्न हुआ जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। वादी ने इस्तदुआ की है कि मौजा खेडा नारनोलिया के खेत ख.न. 232 रकबा 15.18 बीघा एक मात्र वादी के हक बंट कब्जा काश्त व खोतदारी की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री इस्लामुदीन काजी ने वकालतनामा पेश कर इकबालिया जवाब पेश किया। प्रतिवादी 7 का सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुआ। प्रतिवादी संख्या 7 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने तथा प्रतिवादी सं. 1 से 6 की ओर से इकबालिया जवाब पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वकील वादी ने दर. अधीन आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का पेश कर वादी के फोत होने पर वादी के वारिसान को रेकर्ड पर लेने का निवेदन किया। वकील वादी की ओर से प्रस्तुत दर0 अधीन आदेश 22 नियम 3 सीपीसी स्वीकार की जाकर वादी माणकचन्द के विधिक वारिसान को रेकर्ड पर लिया गया। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का पेश कर प्रतिवादीसं. 2 तिलोकराम के फोत होने पर उसके पिछे कोई वारिसान नहीं होने तथा सबसे नजदीक वारिस उसके भाई कैलाशचन्द व हरदीन होने से प्रतिवादी सं. 2 का नाम हटाये जाने का निवेदन किया। इसके साथ ही वकील वादी ने एक अन्य प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का पेश कर वादी की पत्नि कंवराई के फोत होने तथा उसके पिछे उसके वारिस पहले से रिकार्ड पर होने से नाम हटाने का निवेदन किया। वादी की ओर से प्रस्तुत दोनो प्रार्थना पत्र पर वकील वादी को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सं. 2 के पिछे कोई वारिस नहीं होने तथा सबसे नजदीक के वारिस उसके भाई कैलाशचन्द व हरदीन राम होना कथन किया जो प्रतिवादी सं. 1 व 3 के रूप में सयोंजित है। वादी की पत्नि कंवराई वादी के फोत होने पर वादि के पुत्र पुत्रियों के साथ वादीगण के रूप मे संयोजित की गई थी, जिससे कवराई के वारिसान पहले से रिकॉर्ड पर होने से वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त दोनो दरख्वात स्वीकार की जाकर वादी कवराई व प्रतिवादी सं0 2 तिलोकराम के नाम हटाये जाने के आदेश जारी किये गये।

वाद पत्र में दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र छेलाराम का पेश हुआ साथ नकल जमाबन्दी ग्राम खेडानारनोलिया के ख.न. 232 की सम्वत् 2069 से 2072 प्रदर्श–1 कराई। अधिवक्ता वादी द्वारा और साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र में वर्णित पैराज को प्रतिवादीगण की ओर से वाद का समर्थन कर इकबालिया जवाब पेश हो चुका है। वादग्रस्त भूमिया वादी एवं प्रतिवादीगण की बडेर की भूमि होकर शामिल काश्त की रही है। तथा ख.न. 232 रकबा 15.18 बीघा वादी के पिता के बंट की रहकर अब वादी के कब्जे काश्त की है। अतः वाद वादी का स्वीकार किया जाकर ख.न. 232 रकबा 15.18 बीघा वादीगण के हक बंट कब्जा काश्त की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी की जावे।

पत्रावली पर रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक एवं वकील वादीगण की बहस पर मनन किया गया। ग्राम खेडा नारनोलिया के खेत ख.न. 232 रकबा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्रतिवादीगण बडेर के नाम दर्ज है। वादी के कथनानुसार उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी के बडेर की भूमि रही है जिसे प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर स्वीकारोति दी है। जिससे वाद में वर्णित तथ्यों की ताईद होने से वाद को स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा खेडा नारनोलिया का खेत ख.न. 232 रकबा 15.18 बीघा वादीगण के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी का घोषित किया जाता है। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा भरा जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी हो।

25/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 25/05/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

25/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल (नागौर)
इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 136/2019
जीसीएमएस न. 2019/00194

वादीगण–

1. माणकचन्द पुत्र पूनाराम **(फोत)**
1) मंगतूराम पुत्र माणकचन्द
2) छेलाराम पुत्र माणकचन्द
3) कानाराम पुत्र माणकचन्द
4) पुरखराज पुत्र माणकचन्द
5) सीपुडी पुत्री माणकचन्द
6) लीला पुत्री माणकचन्द

जाति–मेघवाल, निवासी–कुचेरा हाल निवासी फिरोजपुरा, तहसील–जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. कैलाश पुत्र बद्रीराम
2. तिलोक राम पुत्र बद्रीराम(नाम हटाया गया)
3. हरदीन राम पुत्र बद्रीराम
4. हजारीराम पुत्र बोफाराम उर्फ बोदाराम
5. सरजुदेवी पत्नि मनीराम उर्फ बोदाराम
6. इन्द्रादेवी पुत्री मनीराम उर्फ बोदाराम
   जाति–मेघवाल, निवासी– कुचेरा, तहसील–मूण्डवा (नागौर)
7. तहसीलदार, जायल

उपस्थिति :–

1. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री इस्लामुदीन काजी अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 व 6 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकार उपस्थित।

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री शैलेन्द्र सिंह कालवी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी श्री इस्लामुदीन काजी व प्रतिवादी संख्या 7 राज पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – माणकचन्द के वारिसान मंगतूराम, छेलाराम, कानाराम, पुखराज पुत्रगण माणकचन्द व सीपुडी, लीला पुत्रियां माणकचन्द के के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में खेडा नारनोलिया तहसील जायल के खसरा नं. 232 रकबा 15.18 बीघा घोषित किया जाता है।

25/5/22

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

तीज – मुबलिग – बाबत –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह –सालाना आज की तारीख मे तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करे। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25/05/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराज हुक्मनामा			बाबत हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट – इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

25/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर प्रथम
उपखण्ड अधिकारी
जायल